

- (b) अधिकतम उम्र सीमा :- स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या-421(9) दिनांक-22.11.2018 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत् होगी:-

Category	Maximum Age
UNR	45
BC-I/ BC-II	47
ST/ SC	50
Female (UNR/BC-I/BC-II)	48
EWS	45
Handicapped	10 years above the maximum age stated.
State Govt. employee	No Age Bar

(c) झारखण्ड चिकित्सा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2018 के आलोक में झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सकों के लिए उम्र सीमा का बंधेज नहीं होगा। इसके लिए नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

9. **नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया** :- झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2018 का अध्याय-4 एवं Annexure 'B' में चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति का मापदण्ड हेतु प्रावधानित नियम के अनुसार झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार चयन किया जायेगा।

(i) अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों का निम्नरूपेण मुल्यांकन किया जायेगा।

(क) तीन एम0बी0बी0एस0 विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग:-	70% से उपर	65% से उपर	60% से उपर	55% से उपर	50% से उपर
अंक-	5	4	3	2	1

नोट:- एक या अधिक एम0बी0बी0एस0 परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामले में, खास एम0बी0बी0एस0 परीक्षा में प्राप्तांक के कुल योग की गणना संबंधित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जायेगी।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुशांसा के अनुसार, आवेदित स्पेशलिटी विषय या विषय-समूह में प्राप्तांक:-	70% से उपर	65% से उपर	60% से उपर	55% से उपर	50% से उपर
	5	4	3	2	1

नोट:- आवेदित स्पेशलिटी विषय या विषय-समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामले में, अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान संबंधित विषय में प्राप्तांक माना जायेगा।

- (ग) एम0डी0/एम0एस0 अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्पेशलिटी में समकक्ष मानी गयी अर्हता। :- 10 अंक
- (घ) उसी स्पेशलिटी में पी0एच0डी0, डी0एम0, एम0सीएच0 :- 10 अंक
- (ङ) साक्षात्कार :- 06 अंक
- (च) सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव (प्रतिवर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक) 10 अंक

नोट:- ऐसे एम0आर0सी0पी0, एफ0आर0सी0एस0 आदि जो 11.11.1978 के बाद प्राप्त किये गये हैं, के लिए कोई अंक आवंटित नहीं किया जायेगा।

(iv) तीन विश्वविद्यालय एम0बी0बी0एस0 परीक्षाओं में से किसी में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए 1 (एक) अंक घटाया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी, जो तीन से अधिक अवसरों पर इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हों, वे पात्र नहीं होंगे।

(v) निम्न वर्णित मान्यता प्राप्त जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में मूल प्रकाशन के लिए किसी अभ्यर्थी के निम्नानुसार अतिरिक्त अंक आवंटित किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकाशन का मूल लेखक तभी माना जायेगा, जब वह विषय के प्रभारी प्राध्यापक या विभागाध्यक्ष, जिसके अधीन उसने पेपर तैयार किया हो, से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

(क) अधिकतम 2 (दो) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी झारखण्ड स्टेट मेडिकल जर्नल में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 1 (एक) अंक।

(ख) अधिकतम 10 (दस) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी ऑल इंडिया मेडिकल जर्नल, जो किसी ऑल इंडिया सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, अथवा किसी विदेशी मेडिकल जर्नल, जो समान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 2 (दो) अंक।

(vi) न्यूनतम अर्हतांक:- सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी अभ्यर्थी को न्यूनतम 18 (अठारह) अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10. झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 अधिसूचना संख्या-552(9), दिनांक-09.12.2021 के अनुसार सर्वप्रथम झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी में से नियुक्ति की जायेगी, जो इस हेतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National medical Commission) के मापदण्डों को पूर्ण करते हैं।

तदोपरांत विभागवार शेष रिक्त पदों पर झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली-2018 के अनुरूप नियुक्ति की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

11 **आरक्षण का लाभ:-** आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।

(क) **आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश :-**

i. आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

ii. शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।

(ख) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-235, दिनांक-10.10.2019 द्वारा अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।

(ग) जाति प्रमाण पत्र आवेदक/आवेदिका के पिता की जाति के आधार पर निर्गत होना चाहिए।